2010:CGHC:12126-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश।

दांडिक अपील क्रमांक 596/1992

आनंन्द कुमार और अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश शासन्

(अब छ.ग. शासन्)

विचार हेतु निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता न्यायाधीश

मैं सहमत हूं ।

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

दिनांक 18/10/2010

दिनांक 19 अक्टूबर 2010 को निर्णय हेतु सूचीबध्द करें।

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

दिनांक 18/10/2010

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ : **माननीय श्री राजीव गुप्ता न्यायाधीश एवं**

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश।

दांडिक अपील क्रमांक 596/1992

अपीलार्थीगण

1. आनंद कुमार, आयु 37 वर्ष, पिता बुलवाराम दहरिया, कांस्टेबल, एस.एफ., 11वीं बटालियन, निवासी ग्राम: सुंदरी, थाना पसारी, जिला रायपुर।
2. गणेशराम, आयु 53 वर्ष, पिता सुदर्शन सतनामी, कृषक (मृत - नाम आदेश दिनांक 29.7.2010 के अनुसार हटाया गया)।
3. कमल प्रसाद, आयु 35 वर्ष, पिता गणेश सतनामी, शिक्षक, पूर्व माध्यमिक शाला, देवसुंदरा।
4. रामभरोस, आयु 39 वर्ष, पिता शोभाई सतनामी, कृषक (मृत - नाम आदेश दिनांक 29.7.2010 के अनुसार हटाया गया)।
5. छेदूराम, आयु 37 वर्ष, पिता मंडुआ सतनामी, कृषक (मृत - नाम आदेश दिनांक 29.7.2010 के अनुसार हटाया गया)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. शेरसिंह, आयु 20 वर्ष, पिता बरथू सतनामी, कृषक।

7. भवदास, आयु 36 वर्ष, पिता शोभाई सतनामी, कृषक।

8. संदास, आयु 32 वर्ष, पिता बुलवा सतनामी, कृषक (मृत - नाम आदेश दिनांक 29.7.2010 के अनुसार हटाया गया)।

9. भुरावा, आयु 45 वर्ष, पिता सादाराम सतनामी, कृषक (मृत - नाम आदेश दिनांक 29.7.2010 के अनुसार हटाया गया)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सभी निवासी ग्रामः सुंदरी, थानाः पलारी, तहसीलः बलोदा बाजार, जिलाः रायपुर, एम.पी. (अब छत्तीसगढ़)।

बनाम

<u>प्रत्यर्थी</u> मध्य प्रदेश शासन

(अब छ.ग.शासन)

<u>(दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374 (2) के अंर्तगत दांडिक अपील)</u>

<u>उपस्थित</u> :_अधिवक्ता श्री अभय तिवारी अधिवक्ता, अपीलार्थीगण की ओर से

अधिवक्ता श्री जामील अख्तर लोहानी पेनल अधिवक्ता राज्य की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 19/10/2010 को पारित

माननीय श्री धिरेन्द्र मिश्रा न्यायाधीश के द्वारा

(1) यह अपील बलोदा बाजार, जिला रायपुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र विचारण संख्या 198/88 में दिनांक 11 मई, 1992 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध निर्देशित है।

(2) प्रतिकूल निर्णय द्वारा, अपीलार्थियों को निम्न प्रकार से दोषसिद्ध किया गया है और सजा सुनाई गई है, तथा यह निर्देश दिया गया है कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगे:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दोषसिद्धि	**दंडादेश**
भारतीय दंड संहिता की धारा 148 के अंतर्गत	तीन वर्ष के लिए कठोर कारावास
भारतीय दंड संहिता की धारा 302/149 के अंतर्गत	आजीवन कारावास
भारतीय दंड संहिता की धारा 307/149 के अंतर्गत	पाँच वर्ष के लिए कठोर कारावास
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4/5 के अंतर्गत	तीन वर्ष के लिए कठोर कारावास

(3) अपीलार्थी क्रमांक 2 - गणेशराम, अपीलार्थी क्रमांक 4 - रामभरोस, अपीलार्थी क्रमांक 5 - छेदूराम, अपीलार्थी क्रमांक 8 - संदास तथा अपीलार्थी क्रमांक 9 - भुरावा की इस अपील की लंबित अवधि के दौरान मृत्यु हो गई। दिनांक

29.7.2010 के आदेश द्वारा उनके नाम अपील के कॉज-टाइटल से हटा दिए गए थे। अतः, इन अपीलार्थियों की ओर से दायर अपील उपशमित (abated) होने के कारण खारिज समझी जाती है।

(4) संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार हैं:-

आरोपी व्यक्ति, मृतक व्यक्ति और घायल चौबीसराम (अ.सा.-3), सभी ग्राम सुंदरी, थाना पलारी के निवासी थे। 17.4.88 को लगभग 8:00 बजे प्रातः, मृतक चेतराम अपने पुत्र कपिलदेव @ गुड्डू (तत्कालीन आयु लगभग 8 माह, अब मृतक) को अस्पताल ले जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर सवार था। चौबीसराम (अ.सा.-3) कपिलदेव को गोद में लिए मोटरसाइकिल पर पिल्लन राइडर के रूप में बैठा था। जब वे आरोपी दरासराम के घर के सामने पहुँचे, तो 11 की संख्या में आरोपी व्यक्ति रास्ते में आए और उन पर देशी बमों से हमला किया। उन्होंने मृतक चेतराम और घायल चौबीसराम (अ.सा.-3) को लाठी और तब्बल (एक प्रकार का हथियार) से भी पीटा। चेतराम को कई चोटें आईं और वे उन चोटों के कारण घटनास्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। चौबीसराम (अ.सा.-3) किसी तरह घटनास्थल से भाग निकला और पास के बैसाखू केवट के घर में शरण ली। इसी बीच, किसी सूचना पर पुलिस पार्टी गाँव पहुँची। उन्होंने बैसाखू केवट के घर में चौबीसराम (अ.सा.-3) को घायल अवस्था में पाया। घायल चौबीसराम (अ.सा.-3) के कहने पर लगभग 11:00 बजे प्रातः एक देहाती नालिश (प्र.पी/15) दर्ज की गई। चेतराम का पुत्र कपिलदेव @ गुड्डू घटनास्थल के पास एक नीम के पेड़ के पास जीवित पाया गया। उसे तुरंत सरकारी अस्पताल, पलारी ले जाया गया, जहाँ से उसे डी.के. अस्पताल, रायपुर शिफ्ट किया गया। हालाँकि उसी दिन लगभग 4:55 बजे अपने इलाज के दौरान उसकी मृत्यु भी हो गई।

मृतक- चेतराम के शव की मृत्यु समिक्षा की गई और उसे शव परीक्षण के लिए भेजा गया। शव परीक्षण डॉ. आर.पी. पांडे (अ.सा.-11) द्वारा किया गया। शव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिपोर्ट प्र.पी./29 है। डॉ. पांडे ने मृतक- चेतराम के शव पर निम्नलिखित बाहरी चोटें दर्ज कीं:-

(i) घाव कटा हुआ, 6 इंच लंबा, बाएं मास्टॉयड क्षेत्र में। मांसपेशियों तक गहरा, सभी रक्त वाहिकाओं को काटता हुआ।

(ii) घाव कटा हुआ, तिरछा स्थित, चेहरा, जबड़े, श्वासनली, कंठ, रक्त वाहिकाओं और गर्दन की धमनियों को चीरता हुआ।

(iii) घाव कटा हुआ, 2 इंच x 1/2 इंच x 1/2 इंच, बाएं फोरआर्म (बांह) पर।

(iv) कई छोटे काले रंग के जले हुए क्षेत्र, छाती और पेट के बाएं हिस्से पर।

(v) फटा हुआ घाव, 1 इंच x 1/2 इंच, बाएं लम्बर क्षेत्र (कमर) पर, जिसमें कालापन था।

(vi) फटा हुआ घाव, 1/2 इंच x 1/2 इंच x 1/2 इंच, सीने के अगले हिस्से के दाईं ओर।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(vii) तीन फटे हुए घाव, आकार में 1/2 इंच x 1 इंच के बीच, बाएं हाइपोकॉन्ड्रियम क्षेत्र (पसलियों के नीचे का हिस्सा) पर।

आंतरिक परीक्षा पर, उन्होंने बाएं टेम्पोरल हड्डी (कनपट्टी की हड्डी), दोनों जबड़ों और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर पाए। मस्तिष्क का पदार्थ बाहर आ गया था। छाती पर मांसपेशियों में और पेट के अंदर गहराई में पत्थर के टुकड़े पाए गए। छोटी आंत में रक्तस्राव (हेमरेज) था। सभी चोटें आमरण (मृत्यु से पूर्व की) थीं और सख्त तथा नुकीली वस्तुओं तथा विस्फोट के कारण हुई थीं।

मृतक कपिलदेव @ गुड्डू के शव का भी शव परीक्षण के लिए भेजा गया, जिसे डॉ. के.एल. गोपावर (अ.सा.-10) द्वारा किया गया। उनकी शव रिपोर्ट प्र.पी./28 है। मृतक कपिलदेव के शव पर निम्नलिखित बाहरी चोटें पाई गईं:—

(i) घर्षण (Abrasion) 1.5 cm x 0.5 cm, दाएं लम्बर क्षेत्र (कमर) पर;

(ii) घर्षण (Abrasion) 1 cm x 0.5 cm, पीठ के बाएं हिस्से में लम्बर क्षेत्र के ऊपरी भाग पर;

(iii) तीन घर्षण (Abrasions) 0.5 cm x 0.5 cm, ऑसीपिटल क्षेत्र (सिर का पिछला हिस्सा) पर;

(iv) चोट (Bruise) 1.5 cm x 1 cm, बाएं माथे पर। दाएं टेम्पोरो-पेराइटल क्षेत्र (कनपट्टी और सिर के ऊपरी हिस्से का जोड़) पर रक्ताधिक्य मौजूद था।

आंतरिक परीक्षा पर यह पाया गया कि दाएं टेम्पोरल, पेराइटल और फ्रंटल हड्डियों (कनपट्टी, कपाल और ललाट की हड्डियों) में फ्रैक्चर थे। मस्तिष्क की झिल्ली फटी हुई थी। मस्तिष्क के ऊतकों में रक्त के थक्के (ब्लड क्लॉट) पाए गए। सभी चोटें मृत्यु-पूर्व (एंटी-मॉर्टम) थीं। मस्तिष्क को आई चोट के परिणामस्वरूप कोमा मृत्यु का कारण था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

घायल चौबीसराम (अ.सा.-3) की जांच डॉ. घनश्याम (अ.सा.-20) द्वारा की गई। उन्होंने चौबीसराम (अ.सा.-3) के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाईं:—

(i) फटा हुआ घाव 11 cm x 7 cm, बाएं पैर के निचले हिस्से पर; हड्डियाँ और मांसपेशियाँ बाहर निकली हुईं।

(ii) फटा हुआ घाव 7 cm x 1.5 cm, दाएं घुटने के जोड़ के नीचे।

(iii) फटा हुआ घाव 2 cm x 1 cm x हड्डी तक गहरा, ठोड़ी के नीचे।

(iv) फटा हुआ घाव 3 cm x 1 cm, गाल के बाएं हिस्से पर; तथा

(v) फटा हुआ घाव बाएं आँख की पलक पर, उक्त चोट के कारण पुतली (pupil) ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी।

उन्होंने राय दी कि चोट क्रमांक 2 को छोड़कर, बाकी सभी चोटें विस्फोट (blast) के कारण हो सकती हैं। उन्होंने पीड़ित को एक्स-रे जांच और आगे के इलाज के लिए डी.के. अस्पताल, रायपुर भेजा। चोट रिपोर्ट प्र.पी./62 है।

(4) अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि आरोपी व्यक्तियों ने एक अवैध समूह बनाया, घातक हथियारों के साथ दंगे में भाग लिया और उक्त समूह के सामान्य

उद्देश्य के अनुसरण में चेतराम की हत्या की और उन्होंने चौबीसराम (अ.सा.-3) की जान लेने का प्रयास भी किया।

(5) ग्यारह आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया गया था। दो आरोपी व्यक्तियों, यथा रतीराम और दरासराम, को सत्र न्यायालय द्वारा यह मानते हुए दोष मुक्त कर दिया गया कि पीड़ित चौबीसराम (अ.सा.-3) की चिकित्सकीय जांच के लिए भेजे गए अनुरोध (प्र.पी./36) में उनके नाम शामिल नहीं हैं। हालाँकि, अपीलार्थियों को पूर्वोक्तानुसार दोषसिद्ध किया गया और दंडादेश दिया गया।

(6) अपीलार्थियों की दोषसिद्धि चौबीसराम (अ.सा.-3), जुगबाई (अ.सा.-17) और खोरबहारिन बाई (अ.सा.-16) के प्रत्यक्षदर्शी के विवरणों पर आधारित है। सत्र न्यायालय ने उनकी गवाही को विश्वसनीय पाया और यह भी पाया गया कि उनकी गवाही का चिकित्सकीय साक्ष्य के साथ-साथ चौबीसराम (अ.सा.-3) द्वारा तुरंत दर्ज कराई गई देहाती नालिश (प्र.पी./15) से भी समर्थन हुआ है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) श्री अभय तिवारी, अभियुक्तों की ओर से पेश अधिवक्ता, ने तर्क दिया कि मुख्य आरोप अपीलार्थियों - आनंद कुमार और कमल प्रसाद पर हैं और अन्य अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप अस्पष्ट और सामान्य हैं; अवैध समूह बनाने और अपीलार्थियों द्वारा सामान्य उद्देश्य साझा करने का कोई सबूत नहीं था, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से दोषसिद्धि उचित नहीं थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि जुगबाई (अ.सा.-17) मृतक-चेतराम की पत्नी थीं और एक पक्षपातपूर्ण अ.सा. थीं तथा चौबीसराम (अ.सा.-3) और खोरबहारिन बाई (अ.सा.-16) भी उनके साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, इसलिए, सत्र न्यायाधीश द्वारा इन गवाहों के बयानों पर भरोसा करना कानूनी त्रुटि थी।

(8) दूसरी ओर, श्री जमील अख्तर लोहानी, राज्य पक्ष की ओर से पेश पैनल अधिवक्ता, ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(9) हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना और सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(10) हम सर्वप्रथम श्री तिवारी द्वारा उठाए गए उस तर्क का परीक्षण करेंगे, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से धारा 302 एवं 307 के अंतर्गत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के संबंध में है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) ***मसलती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1965 एससी 202*** के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने पैरा 17 में अभिनिर्धारित किया कि "किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जो अवैध समूह का सदस्य होने का आरोपित है, यह सिद्ध करना होता है कि वह उस समूह का गठन करने वाले व्यक्तियों में से एक था और वह समूह के अन्य सदस्यों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 141 द्वारा परिभाषित सामान्य उद्देश्य रखता था। धारा 142 उपबंधित करती है कि जो कोई भी, ऐसे तथ्यों से अवगत होते हुए जो किसी समूह को अवैध समूह बनाते हैं, जानबूझकर उस समूह में शामिल होता है या उसमें बना रहता है, उसे अवैध समूह का सदस्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, पाँच या अधिक व्यक्तियों का समूह, जो धारा 141 की पाँच उपधाराओं द्वारा विनिर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों से प्रेरित हो और उन्हें रखता हो, एक अवैध समूह है। ऐसे मामले में निर्धारित करने का महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या समूह में पाँच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्ति धारा 141 द्वारा विनिर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्य रखते थे। इस प्रश्न का निर्धारण करते समय, यह विचार करना प्रासंगिक हो जाता है कि क्या समूह में

कुछ ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो केवल निष्क्रिय दर्शक मात्र थे और जो समूह के सामान्य उद्देश्य को रखे बिना निरुद्देश्य कौतूहलवश समूह में शामिल हो गए थे।"

(12) उपर्युक्त तथा अनेक अन्य निर्णयों पर ध्यान देते हुए, उच्चतम न्यायालय ने ***पांडुरंग चंद्रकांत म्हात्रे एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2009) 10 एससीसी 773*** में अभिनिर्धारित किया कि धारा 149 के दो अवयव हैं: (i) अवैध समूह के सदस्यों द्वारा अपराध का किया जाना; और (ii) ऐसा अपराध उस समूह के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किया गया हो, अथवा ऐसा होना चाहिए जिसे उस समूह के सदस्यों ने संभाव्य रूप से किए जाने वाला जाना हो। सामान्य उद्देश्य का निर्धारण करने के लिए, हमले से पूर्व और हमले के समय अवैध समूह के प्रत्येक सदस्य का आचरण एक प्रासंगिक विचार है; अवैध समूह का उद्देश्य एक तथ्यात्मक प्रश्न है, जिसका निर्धारण समूह की प्रकृति, सदस्यों द्वारा ले जाए गए हथियारों, और घटनास्थल पर या उसके निकट सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) ***सिकंदर सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, 2010 एआईआर एससीडब्ल्यू 4426*** में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सामान्य उद्देश्य के लिए हमले से पूर्व किसी पूर्व योजना या मंथन की आवश्यकता नहीं होती। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक सदस्य का उद्देश्य एक समान है और सभी उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के रूप में कार्य करते हैं। सामान्य उद्देश्य का निर्धारण सदस्यों के कार्यों और भाषा तथा सभी परिस्थितियों के आकलन से किया जाना चाहिए। सामान्य उद्देश्य के निर्धारण हेतु, अवैध समूह के प्रत्येक सदस्य का हमले से पूर्व और हमले के समय का आचरण तथा अपराध का मकसद कुछ प्रासंगिक आधार होते हैं।

(14) 'धरनीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा अन्य संबद्ध अपीलों', [(2010) 7 एससीसी 759] में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहाँ दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से की गई हो, ऐसे मामले में केवल यह निर्धारित करना होता है कि क्या समूह में पाँच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों ने धारा 141 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक सामान्य उद्देश्य रखे थे। सामान्य उद्देश्य के निर्धारण हेतु, उक्त समूह के प्रत्येक सदस्य का हमले से पूर्व, हमले के समय और उसके बाद का आचरण, साथ ही अपराध का मकसद प्रासंगिक आधार होते हैं। हालाँकि, अवैध इरादा बनाने का समय मायने नहीं रखता, क्योंकि यह संभव है कि कोई समूह, जिसकी शुरुआत वैध रूप में हुई हो, बाद में अवैध बन जाए। अंततः, अभियोजन पक्ष से यह अपेक्षित भी नहीं है कि एक बार यह साबित हो जाने पर कि आरोपी अवैध समूह के सदस्य थे और उन्होंने मृतक पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु हुई, प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई विशेष या स्वतंत्र भूमिका को निर्दिष्ट करे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर, हम अपीलार्थियों के मामले का परीक्षण करेंगे।

(16) चौबीसराम (अ.सा.-3) ने गवाही दी कि घटना के दुर्भाग्यपूर्ण दिन, चेतराम ने उन्हें अपने बच्चे को खरतोला अस्पताल ले जाने के लिए बुलाया था। वह चेतराम के बच्चे (कपिलदेव) को गोद में लेकर मोटरसाइकिल पर बैठा। चेतराम मोटरसाइकिल चला रहा था। जैसे ही वे दरासराम के घर के पास पहुँचे, अपीलार्थी आनंद कुमार ने "मारो-मारो" जैसे नारे लगाने शुरू कर दिए और आनंद और कमल ने उन पर बम फेंके। बम मोटरसाइकिल से टकराया और वह मोटरसाइकिल से गिर गया। उस समय गणेश, दरास, भरोस, भवदास, भुरावा, शेरसिंह, छेदू, संदास और रतीराम भी वहाँ मौजूद थे। न्यायालय में अपनी पूछताछ के दौरान उन्होंने उन सभी की

पहचान की। चेतराम भागने लगा। फिर से एक बम फेंका गया। वह आरोपी व्यक्तियों से उन पर हमला न करने की विनती कर रहा था, लेकिन आरोपी व्यक्तियों ने चेतराम को लाठी और तब्बल से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद आनंद और कमल ने इस अ.सा. पर बम फेंके। एक बम दीवार पर लगा। एक अन्य बम उसके पैर और आँख पर लगा। ऐसी चोटें आने के बाद चेतराम का बेटा (कपिलदेव) उसके हाथों से गिर गया। इसके बाद वह किसी तरह घटनास्थल से भाग निकला और बैसाखू केवट के घर के अंदर चला गया। घर में कोई नहीं था। लगभग 10 मिनट बाद सोनिया नामक एक महिला वहाँ आई। उसने उसे सारी घटना सुनाई, जिसने घर का ताला लगा दिया। दो घंटे बाद बहुत से लोग वहाँ एकत्र हुए, तब जाकर ताला खोला गया। उस घटना में उसकी बाईं आँख चली गई। उसने पुलिस अधिकारी को देहाती नालिश (प्र.पी./15) दर्ज कराना स्वीकार किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) खोरबहारिन बाई (अ.सा.-16) ने गवाही दी कि दुर्भाग्यपूर्ण दिन लगभग सुबह 8:00 बजे, गंगा बाई रोती हुई उनकी ओर आईं कि चेतराम को पीटा जा रहा है। इस पर, वह जुगबाई (अ.सा.-17), साधबाई, रामशीला, कौशल्या और बन्निन के साथ घटनास्थल की ओर दौड़ीं। उन्होंने देखा कि आरोपी व्यक्ति आनंद, कमल, भवदास, भरोस, दरास, गणेश, संदास, रती, भुरावा, शेरसिंह और छेदू सभी मृतक चेतराम को लाठी, तब्बल और रप्पा से पीट रहे थे। आनंद और कमल ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया। आरोपी दरासराम के हाथ में रप्पा था, आरोपी गणेश के हाथ में तब्बल था और अन्य आरोपी व्यक्तियों के हाथों में लाठियाँ थीं। जिरह में, उन्होंने स्वीकार किया कि वे बम विस्फोट के ठीक बाद घटनास्थल पर पहुँची थीं। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके सामने कोई बम नहीं फेंका गया था।

(18) जुगबाई (अ.सा.-17) मृतक चेतराम की पत्नी हैं। उन्होंने भी इसी प्रकार गवाही दी। उन्होंने भी कमल, आनंद, भरोस, गणेश, संदास, रती, भवदास, दरासराम, शेरसिंह, भुरावा और छेदू के नाम लिए और गवाही दी कि वे उनके पति को लाठी और तब्बल से पीट रहे थे।

(19) यद्यपि इन गवाहों की बचाव पक्ष द्वारा लंबा प्रतिपरीक्षण किया गया, फिर भी बचाव पक्ष कोई ऐसी परिस्थिति प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं रहा है, जिसके आधार पर या तो उनकी गवाही को खारिज किया जा सके या यह कहा जा सके कि वे मृतक चेतराम की हत्या के आरोप में अपीलार्थियों को झूठे फंसा रहे थे। चौबीसराम (अ.सा.-3) के बयान की पुष्टि देहाती नालिश (प्र.पी./15) द्वारा होती है, जो उनके द्वारा संबंधित पुलिस अधिकारी को तुरंत दर्ज कराई गई थी। देहाती नालिश (प्र.पी./15) के अनुसार, घटना लगभग सुबह 8:15 बजे हुई और नालिश लगभग 11:00 बजे दर्ज की गई। हम पाते हैं कि देहाती नालिश में सभी व्यक्तियों के नाम उल्लिखित हैं और यह भी बताया गया है कि पहले उन्होंने बमों का इस्तेमाल किया और उसके बाद तब्बल और लाठियों का भी इस्तेमाल किया। अ.सा.-3 के बयान की पुष्टि उनके चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा और भी होती है, जिसमें डॉक्टर द्वारा उपरोक्त चोटें पाई गईं और यह राय दी गई कि चोटें विस्फोट के कारण हो सकती थीं। केवल इतना ही नहीं, उनके बयान की पुष्टि चेतराम की शव रिपोर्ट (प्र.पी./29) द्वारा भी होती है, जो दर्शाती है कि उसे भी बम विस्फोट की चोटें आई थीं और साथ ही उसे फटे और कटे हुए घाव भी आए थे जो सख्त व कुंद और नुकीली वस्तुओं के कारण हो सकते थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(20) खोरबहारिन बाई (अ.सा.-16) और जुगबाई (अ.सा.-17) के बयान काफी स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। उनके घर घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित हैं। उन्होंने गवाही दी

कि उन्होंने आरोपी व्यक्तियों को मृतक को लाठी और तब्बल से पीटते देखा, लेकिन उन्होंने बम फेंके जाने के बारे में कुछ नहीं कहा। अ.सा.-16 के प्रतिपरीक्षण से यह सामने आता है कि वे बम विस्फोट के बाद घटनास्थल पर पहुँची थीं और उन्होंने केवल यह देखा कि आरोपी व्यक्ति मृतक को लाठी और तब्बल से पीट रहे थे। अ.सा.-3, चौबीसराम, एक घायल अ.सा. हैं। इसलिए, घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति के बारे में मुश्किल से ही कोई संदेह हो सकता है। अन्य दो साक्षियों में से, जुगबाई (अ.सा.-17) मृतक की पत्नी हैं। उनके पास यह सुनकर कि आरोपी व्यक्ति उनके पति को पीट रहे हैं, घटनास्थल पर दौड़कर पहुँचने का एक कारण था। यह दिन के समय की घटना थी। इसलिए, इस बात पर संदेह नहीं किया जा सकता कि इन साक्षियों ने हमलावरों की सही पहचान नहीं की होगी। अ.सा. और आरोपी व्यक्ति एक ही गाँव के निवासी हैं, इसलिए, इन साक्षियों द्वारा आरोपी व्यक्तियों की पहचान में गलती होने की मुश्किल से ही कोई संभावना थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(21) इन साक्षियों के साक्ष्य का उचित मूल्यांकन करने के बाद, यह सामने आता है कि सर्वप्रथम दो आरोपी व्यक्तियों जिनके नाम आनंदराम और कमल थे, उन्होंने मृतक पर बम फेंके और उसके बाद अन्य आरोपी व्यक्तियों ने मृतक को लाठी और तब्बल से पीटना शुरू कर दिया जब वह जमीन पर गिर गया। यदि हम प्रत्येक आरोपी के आचरण का परीक्षण करें तो यह प्रतीत होता है कि उनका इरादा मृतक की हत्या करने का था और इसके लिए उन्होंने एक अवैध समूह बनाकर तैयारी की थी जो घटनाओं की उस श्रृंखला से स्पष्ट है जो क्रमबद्ध तरीके से घटित हुई जब सर्वप्रथम दो आरोपी व्यक्तियों ने मृतक पर बम फेंके और जब मृतक गिर गया, तो उन सभी ने लाठी और तब्बल जैसे घातक हथियारों से उस पर हमला किया और उसे कई चोटें पहुँचाईं।

(22) उपर्युक्त कारणों से, हमें सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज इस निष्कर्ष में कोई दोष नहीं दिखाई देता कि अपीलार्थी अवैध समूह के सदस्य थे, उन्होंने दंगे में भाग लिया और अपने सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में उन्होंने मृतक पर बम फेंके और जब मृतक गिर गया, तो उन्होंने उसे लाठी और तब्बल से पीटा।

(23) श्री तिवारी द्वारा साक्षियों के संबंधी या पक्षपातपूर्ण अ.सा. होने के संबंध में दिए गए तर्क के विषय में, उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों की एक श्रृंखला में अभिनिर्धारित किया गया है कि केवल इस आधार पर कि प्रत्यक्षदर्शी परिवार के सदस्य हैं, उनके साक्ष्य को स्वतः खारिज नहीं किया जा सकता। रिश्ता किसी अभियोजन साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अक्सर ऐसा ही होता है कि कोई संबंधी वास्तविक अपराधी को नहीं छुपाएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध आरोप लगाएगा। यदि झूठे फंसाने का तर्क दिया जाए तो उसका आधार रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, न्यायालय को एक सतर्क दृष्टिकोण अपनाना होता है और यह विश्लेषण करना होता है कि क्या साक्ष्य ठोस और विश्वसनीय है (कृपया देखें- सोनेलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2008 एआईआर एससीडब्ल्यू 7988)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(24) नामदेव बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2007 एआईआर एससीडब्ल्यू 1835 में, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई अभियोजन साक्षी जो मृतक या अपराध के पीड़ित का संबंधी है, उसे 'पक्षपातपूर्ण' नहीं कहा जा सकता। 'पक्षपातपूर्ण' शब्द यह मानता है कि अभियोजन साक्षी का आरोपी को द्वेषवश या किसी अन्य गुप्त उद्देश्य से किसी भी तरह दोषी ठहरवाने में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 'हित' है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि एक करीबी रिश्तेदार को 'पक्षपातपूर्ण अभियोजन साक्षी' नहीं कहा जा सकता। वह एक 'स्वाभाविक

अभियोजन साक्षी' है। हालाँकि, उसके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिए। यदि ऐसी जाँच के बाद, उसका साक्ष्य आंतरिक रूप से विश्वसनीय, सहज संभाव्य और पूर्णतः खरा पाया जाता है, तो ऐसे अभियोजन साक्षी के 'एकमात्र' बयान पर भी दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है। अभियोजन साक्षी का मृतक या पीड़ित के साथ घनिष्ठ संबंध उसके साक्ष्य को खारिज करने का कोई आधार नहीं है। इसके विपरीत, मृतक का करीबी रिश्तेदार सामान्यतः वास्तविक दोषी को बचाने और किसी निर्दोष को झूठे फंसाने से सबसे अधिक हिचकिचाएगा।

(25) धरनीधर पूर्वोक्त मामले में, उच्चतम न्यायालय ने पुनः स्पष्ट किया कि कोई कठोर और त्वरित नियम नहीं है कि परिवार के सदस्य कभी भी घटना के सच्चे अभियोजन साक्षी नहीं हो सकते और वे हमेशा न्यायालय के सामने झूठा बयान देंगे। उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक का करीबी रिश्तेदार, स्वतः एक पक्षपातपूर्ण अभियोजन साक्षी नहीं बन जाता। एक पक्षपातपूर्ण अभियोजन साक्षी वह होता है जो बदले या दुश्मनी या विवादों के कारण किसी व्यक्ति को दोषी ठहरवाने में स्वार्थ रखता है और केवल उसी इरादे से न्यायालय के सामने बयान देता है, न्याय की स्थापना में योगदान देने के लिए नहीं। हालाँकि, एक पक्षपातपूर्ण अभियोजन साक्षी के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे स्वीकार करने से पहले सावधानीपूर्वक जाँचा जाना चाहिए। जब उनके बयानों को अन्य साक्षियों, विशेषज्ञ साक्ष्य और मामले की परिस्थितियों द्वारा पुष्टि मिलती है जो स्पष्ट रूप से साक्ष्य की कड़ी के पूर्ण होने और आरोपी के दोष की ओर इशारा करती हैं, तो तथाकथित "पक्षपातपूर्ण साक्षियों" के बयानों पर न यायालय द्वारा भरोसा किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(26) वर्तमान मामले में सर्वप्रथम हम यह नोट कर सकते हैं कि चौबीसराम (अभियोजन साक्षी-3) मृतक का रिश्तेदार नहीं है। खोरबहारिन बाई (अभियोजन साक्षी-16) भी

मृतक की करीबी संबंधी नहीं हैं। जुगबाई (अभियोजन साक्षी-17) मृतक की पत्नी हैं। हमने उनकी संपूर्ण गवाही का अध्ययन किया है। उनकी गवाही की जाँच करने पर, हमें उनकी गवाही पर अविश्वास करने का कोई ठोस कारण नहीं मिलता। हम पहले ही अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि सत्र न्यायालय द्वारा उनकी गवाही पर सही ढंग से विश्वास किया गया था और अभिलेख में ऐसा कोई सामग्री नहीं है जो यह कह सके कि वे अविश्वसनीय अभियोजन साक्षी थे। इसलिए, उपरोक्त तीनों साक्षियों की गवाही को खारिज करने के लिए कोई ठोस कारण न होने के कारण, श्री तिवारी का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(27) उपर्युक्त कारणों से, हमें इस अपील में कोई तथ्य नहीं दिखाई देता। अतः, अपीलार्थियों द्वारा दायर की गई यह अपील खारिज करने योग्य है और इसके द्वारा खारिज की जाती है। बताया गया है कि अपीलार्थी जमानत पर हैं। उनके जमानत बन्ध पत्र निरस्त किए जाते हैं और मुचलके उन्मोचित किया जाता है। अपीलार्थी क्रमांक 1- आनंद कुमार, अपीलार्थी क्रमांक 3- कमल प्रसाद, अपीलार्थी क्रमांक 6- शेरसिंह और अपीलार्थी क्रमांक 7- भवदास को उन पर लगाए गए दंड भुगतने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

सही/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By Yashpal Singh

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur